



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से बने/अधबने 57 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से बने/अधबने 57 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0293/2024 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शादाब पुत्र अख्तर निवासी अग्रवाल मण्डी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- बने/अधबने 57 किलोग्राम अवैध पटाखे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 09.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस.315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निशान्त पुत्रु प्रहलाद निवासी ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस.315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 636/17 धारा 379/411/420 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 763/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 764/17 धारा 414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 246/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 09.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नीरज पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-सुमित पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बडौत।
- 2-है0का0 222 अनुज कुमार थाना बडौत।
- 3-है0का0 492 विनित पंवार थाना बडौत।
- 4-का0 985 विपुल गर्ग थाना बडौत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 09.04.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे 45 पैकेट अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पैकेट अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जाहिद पुत्र राशिद निवासी ग्राम ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पैकेट अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर ।
- 2-है0का0317 बलराज सिंह थाना चांदीनगर ।
- 3-का01103 संजय सिंह थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 09.04.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे दिल्ली से चोरी किया हुआ एक ट्रेलर व एक रिकवरी क्रेन नं0 DL-1LA-6175 तथा 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से दिल्ली से चोरी किया हुआ एक ट्रेलर व एक रिकवरी क्रेन तथा 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद क्रेन नं0 DL-1LA-6175 बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शानू उर्फ अब्दुल गफ्फार पुत्र नवीहसन निवासी बदरपुर दिल्ली ।
- 2-बबलू पुत्र अन्सार निवासी प्रहलादपुर नई दिल्ली ।



गिरफ्तार अभियुक्त शानू उर्फ अब्दुल गफ्फार का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 176/2016 धारा 365/392/411/34 भादवि थाना दरियागंज दिल्ली ।
- 2-मु0अ0सं0 407/2017 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना विवेक विहार दिल्ली ।
- 3-मु0अ0सं0 014173/2017 धारा 379/411 भादवि ई पुलिस स्टेशन दिल्ली ।
- 4-मु0अ0सं0 044/2021 धारा 365/392/411/34 भादवि थाना सनलाईट कालोनी दिल्ली।
- 5-मु0अ0सं 070/23 धारा 411/414 भादवि व 25/3/4 आर्म्स एक्ट थाना अहमदगढ बुलन्दशहर ।
- 6-मु0अ0सं0 161/2023 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना अहमदगढ बुलन्दशहर ।
- 7-मु0अ0सं0 186/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहमदगढ बुलन्दशहर ।
- 8-मु0अ0सं0 368/2022 धारा 380/411 भादवि थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर ।
- 9-मु0अ0सं0 199/2023 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर ।
- 10-मु0अ0सं0 1066/2022 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर ।
- 11-मु0अ0सं0 104/2024 धारा 414/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस ।
- चोरी किया हुआ एक ट्रैलर नं0 HR-38V-2275 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 80035991 धारा 379 भादवि थाना प्रहलादपुर दिल्ली)
- एक रिकवरी क्रेन नं0 DL-1LA-6175

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा ।
- 2-उ0नि0 श्री नरेश चन्द थाना खेकडा ।
- 3-है0का0 292 सिराज खान थाना खेकडा ।
- 4-है0का0 45 अरुण कुमार थाना खेकडा य
- 5-का0 250 कोमल थाना खेकडा ।
- 6-का0 1008 मिथुन कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 09.04.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने एक अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 35 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का (कुल 315 लीटर) व तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार नं0 UP-16BH-8968 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्करो को गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 35 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का (कुल 315



लीटर) व तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार नं0 UP-16BH-8968 बरामद बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 116/24 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विकास पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी लोहिया नगर थाना लोहियानगर जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण-

- 35 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का (कुल 315 लीटर)
- तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार नं0 UP-16BH-8968

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री मगनवीर सिंह गिल थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर ।
- 4.का0 399 राहुल कुमार थाना सिंघावली अहीर ।
- 5.का0 454 जितेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 09.04.2024

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-गौतम पुत्र रोहताश निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-साजिद पुत्र अय्यूब निवासी गायत्रीपुर कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

6-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम ।

7-थाना दोघट पुलिस टीम ।